



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एससी/एसटी एक्ट व मारपीट के अभियोग में अभियुक्त को 08 वर्ष के कारावास एवं ₹22,000 के अर्थदण्ड की सजा।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०-71/2001 धारा-324, 323, 504, 506, 326 भा०द०सं० व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भारत पुत्र बालादीन लोधी निवासी सिकरौंधा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 08 वर्ष के कारावास एवं ₹22,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
विजय सिंह



विवेचक-
अवधेश बहादुर सिंह,
(क्षेत्राधिकारी)



पैरोकार
थाना- मझगवां
कां० अनिल कुमार